BA (Hons.)& (Sub.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ (विकृतियॉ या दोष)

दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ – राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था का उद्वेश्य होता है कि देश की जनता के समक्ष अपनी विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर जनता के विश्वास को हासिल कर सत्ता की प्राप्ति करना। इसके लिए प्रत्येक राजनीतिक दल को जनता के प्रति त्याग एवं समर्पण की भावना को अपनाना होगा। जबकि प्रत्येक राजनीतिक दल किसी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अर्थात सभी राजनीतिक दल अपने मूल उद्वेश्य से भटक गये हैं। **नार्मन डी. पामर** के अनुसार, "भारत में अब तक स्वस्थ दलीय व्यवस्था उभरकर नहीं आई है और निकट भविष्य में ऐसा हो सकना कठिन मालूम होता है।" वर्त्तमान समय में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं या विकृतियों और दोषों को निम्नलिखित रूपों में उल्लेख किया जा सकता है :–

1. **बहुदलीय व्यवस्था** – भारत में बहुदलीय पद्वति प्रचलित है। बहुदलीय व्यवस्था में जनता के पास प्रतिनिधियों के चयन के कई विकल्प होते हैं। वे स्वतंत्र, निर्भीक एवं स्वविवेक से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। पूर्ण जनादेश आने पर सरकार की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है और गठबन्धन दरम्यिान सरकार की स्थिति काफी कमजोर होती है। वर्ष 1989 से लेकर 2009 तक किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण जनादेश प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण गठबन्धन की सरकार का गठन हुआ। वर्ष 2014 एवं 2019 के आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण जनादेश प्राप्त हुआ। इधर काफी लम्बे समय के बाद बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय

व्यवस्था पुनः स्थापित हुई है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण लोकसभा चुनाव में खण्डित जनादेश ही प्राप्त हो पाता है। खण्डित जनादेश का आशय है, "किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना।"

2. **राजनीतिक दलों में विखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व** – भारतीय राजनीति में न केवल अनेक राजनीतिक दल हैं वरन् इन राजनीतिक दलों में विखराव, विभाजन और अस्थायित्व की भी स्थिति बनी हुई है। प्रमुख राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1969 में विभाजन हुआ। 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी कालान्तर में चार भागों में विभक्त हो गई। विभाजन और विलय की प्रक्रिया के कारण 1988 में जनता दल की स्थापना हुई और कुछ समय के लिए यह दल भी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन 1990 में विभाजन की स्थिति बन गयी। उसके बाद से जनता दल में विखराव एवं विभाजन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। आज स्थिति यह है कि एक राजनीतिक दल जन्म लेता है तो कल से उसमें टूटन, विलय की स्थिति पैदा होने लगती है। इस प्रकार राजनीतिक दलों का कोई स्थायित्व नहीं है। यह भारत में दलीय व्यवस्था की एक निश्चित रूप से एक बड़ी विकृति है। राजनीतिक दलों में विखराव एवं विभाजन के कारण ही आज स्थायी सरकार का अभाव देखने को मिल रहा है।

3. **अधिकांश राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव** – अधिकांश राजनीतिक दलों में समय पर संगठनात्मक चुनाव नहीं होता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पहली बार 1997 में संगठनात्मक चुनाव सम्पन्न हुआ। उसके बाद से निरंतर लगभग तीन वर्षो पर संगठनात्मक चुनाव सम्पन्न हो रहे हैं लेकिन इन चुनावों में अनेक कमियॉ भी देखने को मिल रही है। व्यवहारिक तौर पर दलों का निर्माण, किन्हीं प्रक्रियाओं, मर्यादाओं, सिद्वांत या कानून के आधार पर नहीं होता है। वर्तमान समय में भी व्यवहारिक तौर पर अधिकांश राजनीतिक दलों में आन्तरिक "लोकतंत्र का अभाव" तथा अनुशासनहीनता देखने को मिलता है। राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव में भी पार्टी के वरिष्ठ लोग अपने चहेते को ही संगठन के मुख्य पद की जिम्मेदारी सौपतें हैं। जो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है।

4. **क्षेत्रीय दलों की शक्ति में निरंतर वृद्वि** –वर्ष 1996 के आम चुनाव तक क्षेत्रीय दलों की शक्ति एवं प्रभाव काफी सीमित था, लेकिन 11वीं से लेकर 14वीं लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की शक्ति में भारी वृद्वि हुई। इन लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों ने क्रमशः 125, 170, 191 तथा 171 स्थान प्राप्त किये तथा 1996 से 2004 तक सभी केन्द्रीय सरकार के गठन तथा कार्यकरण में क्षेत्रीय दलों की महत्वर्पूण भूमिका रही है। कुछ क्षेत्रीय दलों ने तो भारतीय राजव्यवस्था में निर्णयकारी भूमिका भी निभायी है।
5. **दलों में आन्तरिक गुटबन्दी** – भारत की दल प्रणाली के विभिन्न राजनीतिक दलों में आन्तरिक गुटबन्दी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे–छोटे गुट होते हैं। एक वह जो सत्ता या संगठन के पद पर आसीन होता होता है तो दूसरा वह जो संगठन से असंतुष्ट होता है। पारस्परिक मतभेद के कारण कभी–कभी चुनावों में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के राजनीतिक दलों में गुटबन्दी काफी अधिक है। शासक दल और अन्य दलों में गुटबन्दी, भारतीय राजनीति का अभिशाप बनी हुई है।
6. **राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्टता का अभाव** – भारत में राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में स्पष्टता का अभाव है। इसी कारण वे जनता के सामने स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असफल होते हैं। कुछ राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण, अनावश्यक रूप से आन्दोलनकारी राजनीति को अपनाया जाता है तथा विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे –मंदिर मस्जिद विवाद। सभी राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति को ही अपना असली धर्म समझते हैं।
7. **सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक अभिजन के कथनी और करनी में भारी अन्तर** – लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों एवं उसके नेताओं के कथनी एवं करनी में व्याप्क अन्तर देखने को मिलता है। भारत में भी राजनीतिक दलों तथा उसके नेताओं के कथनी एवं करनी में भारी अन्तर देखने को मिलता है। सभी नेता "लोक लुभावन मुखौटे" ओढ़े हुए हैं लेकिन वस्तुतः वे सत्ता के प्रति और केवल स्वंय के प्रति समर्पित हैं। सभी राजनीतिक दलों एवं उसके नेताओं में ईमानदारी का घोर अभाव देखने को

मिल रहा है। जिसके कारण वे धीरे–धीरे जनता की विश्वसनीयता को खो रहे हैं, जो चिन्ता का विषय बनता जा रहा है।

8. **राजनीतिक दल–बदल** – भारत में दल–बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान रही है। दल–बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों रहा है और इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का भी कार्य किया है। वर्ष 1985 में भारतीय संविधान में 52 वॉ संवैधानिक संशोधन कर दल–बदल पर कानूनी रोक लगा दी गई, लेकिन इस कानून में प्रावधान है कि एक राजनीतिक दल का विभाजन और एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय को दल–बदल नहीं समझा जायेगा। ऐसी स्थिति में विभाजन और विलय के नाम पर दल–बदल की स्थिति बनी रही। पुनः 2003 में 91वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर दल–बदल पर पूर्णता रोक की चेष्टा की गई लेकिन अब भी एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय के नाम पर दल–बदल किया जा रहा है।
9. **वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृति** – भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में व्यक्ति की प्रधानता, वंशानुगत नेतृत्व की प्रवृत्ति और राजनीतिक दलों के नेता के द्वारा अपने ही पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। अर्थात् राजनेताओं क लिए राजनीति, एक पारिवारिक कार्य, पारिवारिक व्यवसाय बनता जा रहा है। इस तरह के उदाहारण कांग्रेस, भाजपा, राजद, समाजवादी पार्टी, शिव सेना, लोक जनशक्ति पार्टी आदि में देखने को मिल रहा है। वंशानुगत राजनीति के कारण ही आज लोगों का विश्वास राजनीतिक दल अथवा दलीय व्यवस्था से उठता जा रहा है।
10. **राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन में अपराधी तत्वों और गतिविधियों में निरन्तर वृद्वि** – भारत के राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन की यह सबसे अधिक प्रमुख विकृति और भविष्य की दृष्टि से चिन्ताजनक स्थिति है। प्रत्येक राजनीतिक दलों का एक मात्र उद्वेश्य "येन केन प्रकारेण" अपने प्रभाव में वृद्वि एवं सत्ता की प्राप्ति है। राजनीतिक दलों में अपराधी तत्वों अथवा अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या में वृद्वि हुई है। जो अपना प्रभाव अथवा वर्चस्व के बल पर सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। 15 वीं लोकसभा चुनाव में 162 सदस्यों पर फौजदारी अभियोग था जिसमें 73 पर तो काफी गंभीर मुकदमे चल रहे थे। 16 वीं लोकसभा चुनाव में भी 186 लोगों पर

कोई–न–कोई अपराधिक मुकदमे दर्ज थे। सभी राजनीतिक दलों में यह प्रवृति है। खासकर राष्ट्रीय दलों की अपेक्षा क्षेत्रीय दलों में यह प्रवृति अधिक है। वर्तमान समय में इस पर नियंत्रण करना अथवा इसकी संख्या में कमी लाना आवश्यक है।